कार्यालय : उ0प्र0 कौशल विकास मिशन, लखनऊ

राजकीय आई0टी0आई0 परिसर अलीगंज, लखनऊ

संख्या : /कौ0वि0मि0/टी0पी0पी0/213/2020

लखनऊ, दिनांक : 15 दिसम्बर, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में सूचीबद्ध निम्नलिखित फ्लेक्सी प्रशिक्षण प्रदाता को वित्तीय वर्ष 2020–21 में एस0एस0डी0एफ0 योजनान्तर्त आर0पी0एल0 प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रस्तावित जनपदवार लक्ष्य निम्नानुसार आवटिंत किये जाने का निर्णय लिया गया है–

तालिका–1 (फ्लेक्सी प्रशिक्षण प्रदाता के लक्ष्य आंवटन का विवरण)

Sr. No.	District	TP Name	Sectors	Job Roles	RPL (Orientation Duration)	Bridge Course Duration Hour	Total Allotted SSDF RPL Target	Total Allotted BOCW RPL Target
1	Agra	Wipro GE Healthcare Pvt. Ltd.	Healthcare (QP-NoS Course)	General Duty Assistant HSS/Q5101	12	0	1000	0

उक्त प्रशिक्षण प्रदाताओं को निम्नवत प्रतिबन्ध के साथ लक्ष्य आवंटित किया जाता है।

(1) प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा निम्न शर्तो को पूर्ण करने के पश्चात् ही बैच संचालित करने की अनुमति प्रदान की जायेगी–

(क) सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदाता आर0पी0एल0 के कियान्वयन हेतु मिशन कार्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप– दिशा–निर्देशों के अनुसार आर0पी0एल0 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।

(ख) सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा मिशन के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित होने के उपरान्त ही प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। सम्बन्धित जनपदों के डी0पी0एम0यू0 द्वारा उक्त संस्थाओं को बैच बनाने की अनुमति तभी प्रदान की जाये जब उनके द्वारा हस्ताक्षरित अनुबन्ध की पुष्टि कर ली जाये।

(ग) लक्ष्य आंवटन आदेश में यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण प्रदाताओं को उक्त सेक्टर में बैच बनाने की अनुमति तभी प्रदान की जायेगी जब उनके द्वारा सम्बन्धित जाब रोल में प्रशिक्षक टी0ओ0टी0 प्रमाणित हो।

(2) लक्ष्य आंवटन आदेश में यह उल्लेख किया जाना है कि प्रशिक्षण प्रदाताओं को आवंटित लक्ष्य की पुर्ति शत प्रतिशत करना होगा।

(3) लक्ष्य आंवटन आदेश में यह उल्लेख किया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण की अवधि 12 घंटे अर्थात 3 दिवसीय होगी। प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बिन्धित SSC द्वारा जारी कोर्स करिकुलम के आधार पर उक्त अवधि का प्रशिक्षण प्रदान करना होगा।

(4) प्रस्तावित प्रशिक्षण का लक्ष्य अनन्तिम है तथा प्रशिक्षण प्रदाताओं के मूल्यांकन, मिशन के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में उपलब्ध वित्तीय संसाधन अथवा लक्ष्य संशोधन की स्थिति में प्रस्तावित लक्ष्यों में यथा आवश्यक संशोधन किया जा सकता है।

(5) प्रशिक्षण कार्य आरम्भ न करने व जिलों से शिकायत प्राप्त होने की दशा में प्रशिक्षण प्रदाता के विरूद्ध नियम संगत कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उक्त आवंटित लक्ष्य के अनुसार तत्काल प्रशिक्षण प्रारम्भ कराते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति समय से सुनिश्चित करें।

मिशन निदेशक

संख्या :4123/कौ0वि0मि0/टी0पी0पी0/213/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी (सूची के अनुसार) उत्तर प्रदेश।
3. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिला समन्वयक, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन।
5. सम्बन्धित हेल्थ केयर सेक्टर स्किल कांउसिल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश में वार्णित जॉबरोल के अनुसार मूल्यांकन की व्यवस्था कराना सुनिश्चितकरें।
6. सम्बन्धित डी0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन।
7. प्रशिक्षण प्रदाता (सूची के अनुसार), उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन।
8. समस्त प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, लखनऊ।
9. संबंधित सहायक प्रबंधक, मिशन कार्यालय को इस आदेश के साथ कि आपको आवंटित .प्रशिक्षण प्रदाताओं (संलग्न सूची के अनुसार) के आर0पी0एल0 लक्ष्यों को शत् प्रतिशत पूर्ण कराया जाना एवं अनुश्रवण किया जाना सुनिश्चित करें।
10. प्रबन्धक आई0टी0 प्रकोष्ठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु उक्त अनुमोदित लक्ष्य को यू0पी0एस0डी0एम0 पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
11. गार्ड फाइल।

(रोहित कुमार गुप्ता)
संयुक्त निदेशक
उ०प्र० कौशल विकास मिशन
लखनऊ
कृते मिशन निदेशक